



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

हमारा प्रयास
आपका आवास

द्वारा

एस.बी.आई एन्क्लेव (फेज-2)

अवध विहार योजना, सेक्टर-5, लखनऊ

में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैट प्राप्त करने का

स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण
दि 07.10.2021
से 07.11.2021
तक

फ्लैटों का विवरण :-

UPRERA Reg. No. UPRERAPRJ435308, Web. www.up-rera.in

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट की संख्या	सुपर एरिया लगभग (व.मी.)	कार्पेट एरिया (व.मी.)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	चयन के पश्चात् मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु 0 लाख में)	अवशेष भुगतान नौ त्रैमासिक किश्तों (प्रत्येक किश्त की धनराशि) (रु 0 लाख में)
1.	2 BHK	44	84.98	66.82	46.38	2.32	14.36	3.30
प्राविधान :- ड्राइंग, डाइनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 2 बालकनी, 2 टायलेट								
2.	3 BHK	44	119.23	94.20	65.39	3.27	26.12	4.00
प्राविधान :- ड्राइंग, डाइनिंग रूम, 3 बेडरूम, किचन, 2 बालकनी, 3 टायलेट								

नोट :- उक्त फ्लैट के प्रस्तावित विक्रय मूल्य में विधायी टैक्स सम्मिलित नहीं है, जो आवंटी को अलग से देय होगा।

पंजीकरण पुस्तिका रु. 500/- (जी.एस.टी. सहित) भुगतान कर सम्बन्धित बैंक की शाखा से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन-पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि सहित) सम्बन्धित बैंक में जमा की जा सकती है।

पंजीकरण हेतु विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध है।

ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा परिषद की वेबसाइट www.upavp.in

के लिंक "Online Registration for SBI Enclave Phase-2,

Avadh Vihar Yojna, Lucknow" पर उपलब्ध है।

नियम व शर्तें :- ● प्रत्येक फ्लैट के आवंटी को एक कार पार्किंग उपलब्ध होगी। रिटल्ट पार्किंग हेतु रु. 1,00,000.00 अतिरिक्त देय होगा। कार पार्किंग का आवंटन लॉटरी ड्रा के आधार पर किया जायेगा।

● भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांगपत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांगपत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 09 त्रैमासिक किश्तों में परिषद द्वारा निर्दिष्ट बैंक द्वारा प्राप्त कराये गये विशेष जमा पर्वी के माध्यम से नगद/पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम पर देय हो एवं लखनऊ में देय हो, जमा करनी होगी अथवा सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा की जा सकेगी।

● किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को एस.बी.आई. की प्रभावी दर **MCLR-1** अर्थात् 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत = 8.95 प्रतिशत **say 9.00%** सामान्य ब्याज की दर से देय होगा। परिषद द्वारा बकाये की तीन पंजीकरण नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

● एस.बी.आई. बैंक के नियमित कर्मचारी/अधिकारी को लॉटरी में वरीयता दी जायेगी।

● किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आवास आयुक्त

ऑफलाइन/ऑनलाइन
आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक :

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
मुख्य शाखा, मोती महल मार्ग, लखनऊ
संपर्क सूत्र :

श्री योगेन्द्र सिंह श्री बृजेन्द्र कुमार तिवारी

मो. नं. 9839190006

मो. नं. 9695286785

अधिक जानकारी हेतु

इं. डी.के. श्रीवास्तव अधीक्षण अभियन्ता
अवध विहार वृत्त मो. नं. 8795811578

इं. डी.के. गुप्ता अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लखनऊ-9 मो. नं. 8795810089

डॉ. अनिल कुमार उप आवास आयुक्त
लखनऊ जोन, लखनऊ मो. नं. 8795810018

श्री नृपेन्द्र बहादुर सिंह सम्पत्ति प्रबन्धक
अवध विहार योजना, लखनऊ मो. नं. 8795811528



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in> E-mail : info@upavp.com



शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

पर कॉल करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें